FORM NO 111

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान :— बलवीर सिंह बनाम स्टेट

धारा :— 88 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 55 / 2018

5.3.18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
5.03.2018	अभिभाषक वादी द्वारा वाद–पत्र पेश किया गया। वाद कार्यालय टिप्पणी के प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 13.4.2018 वास्ते तलबी प्रतिवादीगण पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	7.5.18 पत्रावली [illegible] दिनांक आर.कु.चौधरी [illegible] अप्रैल 2018 में [illegible] कार्यवाही हेतु आगामी दिनांक 23/7/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) प्रभारी अधिकारी (SDO) हनुमानगढ़	
4.6.18	वादी श्री बलवीर सिंह की ओर से शपथ-पत्र पेश करने पर पत्रावली पेशी से ली गई। शपथ-पत्र इस आशय का पेश किया गया कि गोविंद कंवर W/o. [illegible] सिंह जाति राजपूत नि. पन्नीवाली त. टिब्बी ने उसे अपने जीवनकाल में गोद लिया था और गोविंद कंवर का स्वर्गवास दिनांक 24.11.1996 को हो चुका है, मृत्यु प्रमाण. पत्र रजि. नं. 25 दि. 5.12.1996 ग्राम पंचायत पन्नीवाली द्वारा जारी हुआ है, स्व. गोविंद कंवर के अन्य कोई वारिस नहीं है, सरपंच ग्रा. प. द्वारा वारिसनामा जारी किया गया है प्रतिवादी द्वारा जवाब स्टेट प्राप्त हो (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी	

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

हुआ है जो शामिल पत्रावली है

पत्रावली के अवलोकन उपरांत व वादी द्वारा पेश उप. आकर आवेदन शपथ-पत्र व दस्तावेज रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र, प्रमाण-पत्र सरपंच पटवारी आदि पर विश्वास कर वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाता है व घोषणा वादी के पक्ष में इस आशय की जाती है कि चक 6 HMH के खाता सं. 77/85 में वादी के नाम से अंकित बलवन्त जीवराज सिंह के स्थान पर दुरुस्त कर कि. गु. गोविंद कंवर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पत्नी डिक्री जारी हो पत्रावली फैसला शुमार हो

आदेश सुनाया गया

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

(आदेश
मज अदालतः–सहाय
पीठासीन अधि
ब
दावा बावत 88
यह
सिंह परमार एडवो
ाता है कि वादी के
एच0एम0एच0 के ख
ान पर दुरुस्त कर
ारामद किया जावे।
........................लीज
.....खर्चा इस मुकद
ावी..........................
। मेरे हस्ताक्षर व
वेर सिंह पि0मुव
ील हनुमानगढ
स्थान सरकार जरि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(2)

डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:–सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर.ए.एस.

बलवीर सिंह बनाम स्टेट

दावा बाबत 88 आर.टी.ए., राजस्व वाद संख्या:– 55/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे बहाजरी श्री ...गन सिंह परमार एडवोकेट अधिवक्ता वादी व पैराकार राज उपस्थित होकर आदेश ...या जाता है कि वादी के वादपत्र स्वीकार किया जाकर घोषित किया जाता है कि चक ... 6 एच0एम0एच0 के खाता सं0 77/85 मे वादी के नाम के अंकित वल्द जीवराजसिंह ... स्थान पर दुरूस्त कर पि0मु0 गोविन्द कंवर अंकन कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे ...मलदरामद किया जावे।

...........................लीज ....X.......................मुबलिग ......X.........बातत..............

..............खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..............X..............................से तारीख

...सुलयाबी ....X.....................

...सिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 04–06–2018 से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

विवरण पक्षकार

बलविर सिंह पि0मुव गोविन्द कंवर जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला तहसील हनुमानगढ जिला हनुमानगढ।(राज0)

––वादी––

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।

––प्रतिवादी––

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एच.एम.एच. क खाता स0 77/85 में अंकित नाम बलवीरसिह वल्द जीवराजसिह कौम राजपूत साकिन पन्नीवाली के स्थान पर वादी की वल्दियत सही कर बलवीरसिह पि0मु0 गोविन्द कंवर जाति राजंपूत साकिन पन्नीवाली अंकित करवाने का अधिकारी व दावेदार है।

(2)

Scanned by CamScanner